भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1598

उत्तर देने की तारीख: 09.12.2025

अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. न्यायाधीशों के लिए आरक्षण

1598. श्री टी. आर. बालू:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की भर्ती और पदोन्नति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करने हेतु एक नया कानून लाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में कानून के अभाव में सरकार न्यायपालिका में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व कैसे सुनिश्चित करेगी?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) से (ग): उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 224 के तहत की जाती हैं, जो किसी जाति या व्यक्तियों के वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं करती हैं। इसलिए, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बीच किसी जाति अथवा व्यक्तियों के वर्ग के प्रतिनिधित्व से संबंधित श्रेणी-वार आंकडे नहीं रखे जाते हैं। 2018 से, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए अनुशंसित व्यक्तियों को निर्धारित प्रारूप (उच्चतम न्यायालय के परामर्श से तैयार) में अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में विवरण प्रदान करना अपेक्षित होता है। अनुशंसित व्यक्तियों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, 2018 से 28.11.2025 तक नियुक्त किए गए 841 न्यायाधीशों में से 32 अनुसूचित जाति श्रेणी के हैं, 17 अनुसूचित जनजाति श्रेणी के हैं, 103 अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं और 46 अल्पसंख्यक वर्ग

के हैं। इसी अवधि के दौरान विभिन्न उच्च न्यायालयों में 129 महिलाओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।

प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव आरंभ करने की जिम्मेदारी माननीय भारत के मुख्य न्यायाधीश की होती है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव आरंभ करने की जिम्मेदारी संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की होती है। तथापि, सरकार न्यायपालिका में सामाजिक विविधता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध करती रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से संबंधित उपयुक्त उम्मीदवारों पर उचित विचार किया जाए। केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है जिनकी सिफारिश उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा की जाती है।

*****